न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 93/2020/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 18.2.2020
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. राम कुंवार आत्मज मंगला
2. राधेश्याम आत्मज मंगला
3. जगदीश आत्मज मंगला
4. कौशल्या पुत्री मंगला
5. तस्वीर पुत्री मंगला

जाति गूर्जर निवासीगण खेडा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।

...अपीलार्थीगण

बनाम

1. बद्रीबाई पत्नी रतनलाल जाति गूर्जर
2. महावीर आत्मज रतनलाल जाति गूर्जर

निवासीगण नीमोदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा–राज0।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा –राज0।

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री अमृतलाल मीणा अभिभाषक –अपीलार्थीगण
श्री उत्पल शर्मा अभिभाषक–रेस्पोडैन्ट्स क्रम–1 व 2

::निर्णय::

दिनांक 6.6.2024

अपीलार्थीगण ने न्यायालय अति0 जिला कलक्टर कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 11/2013 (प्रा0 पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) बउनवान बद्री बाई वगेरा बनाम रामकुवांर आदि मे पारित निर्णय दिनांक 1.6.2016 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत बद्रीबाई वगेरा (रेस्पो0) द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम खेडा तहसील पीपल्दा की खसरा नं0 350 की भूमि के बहुत बडे रकबे मे से नियम विरूद्ध तरीके से मंगला पुत्र बिशना गूजर निवासी खेडा ने फ्रोड करके भरे हुये फार्म का राजस्व कर्मचारी से मिल कर पत्रावली सधारित किये बिना ख0 नं0 350 की 1.00 है0 भूमि दिनांक 17.5.1989 को आवंटन करवाली मंगला के उत्तराधिकारी प्रार्थिया के कब्जे शुदा भूमि पर पैमाईश रिपोर्ट के बाद से जबरन कब्जा करने पर आमादा है। अतः आवंटन आदेश निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बद्रीबाई द्वारा प्रस्तुत उक्त आशय के प्रार्थना पत्र को निर्णय दिनांक 1.6.2016 से स्वीकार कर ग्राम खेडा तह0 पीपल्दा जिला कोटा की
8 आराजी ख0 नं0 350 रकबा 1.00 है0 का कथित आवंटन आदेश दिनांक 17.5.1989 निरस्त कर तहसीलदार पीपल्दा को उक्त आराजी गैरखातेदारी से निरस्त कर पुनः राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने तथा उक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्तकर्ता व्यक्ति को विधिवत कार्यवाही करते हुये मौके पर से

अति. सं. आयुक्त
कोटा

बेदखल कर कब्जा राज प्राप्त करने हेतु आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपील इस न्यायालय मे इस आशय की पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे जारी नोटिस अपीलार्थीगण को तामील नही हुये, फर्जी तरीके से मकान पर चस्पा कर कराई गई तामील के आधार पर अपीलांट्स की इत्तला होना मान कर एक पक्षीय कार्यवाही कर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही किया कि वादग्रसत भूमि अपीलांट्स के पिता मंगला आ0 बिशना को नियमानुसार आवंटित कर मंगला की गैर खातेदारी मे दर्ज की गई। उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स की गैरखातेदारी मे नियमानुसार दर्ज की गयी। जिस पर अपीलांट्स का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विवादित भूमि के बावत रेसपो0 एंव अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जे काश्त मे व्यवधान उत्पन्न करने पर अपीलांट्स ने सहायक कलेक्टर इटावा मे धारा 188 आरटीए का वाद सं0 16/13 पेश किया जिसे लोक अदाजत केम्प लक्ष्मीपुरा पर रखा गया जो दिनांक 29.6.2015 को डिक्री किया गया। यदि उक्त आवंटन फ्रोड होता तो रेस्पो0 द्वारा उक्त वाद मे उक्त कथन किया जाता किन्तु इस बावत कोई कथन नही कहे इससे साबित है कि उक्त आवंटन नियमानुसार हुआ है। रेस्पो0 अपीलांटस वैमनस्यता रखते है आवंटित भूमि पर कब्जा करने की नियत रखते है इस कारण आवंटन पत्रावली को मिली भगत कर गायब करवा दिया तथा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रा0 पत्र पेश कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुये आवंटन खारिज करने मे त्रुटि की है। पटवारी हल्का की गलत पैमाइश रिपोर्ट पर उक्त कार्यवाही आवंटन के 23 वर्ष बाद पेश की गई जिस पर विश्वास कर अपीलांट को विधिवत रूप से सूचना दिये बिना व सुनवायी का पूर्ण अवसर दिये बिना ही आवंटन खारिज करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक तरफा रूप से पारित निर्णय की अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.9.2018 को भूमि सिवायचक दर्ज करने व अपीलांट को बेदखल करने की पटवारी हल्का द्वारा धमकी देने पर हुई। नकल प्राप्त कर अपील पेश की गई। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 1.6.2016 अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलाट्स ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय तौर पर पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। नोटिस अपीलांर्थीगण को तामील नही हुये, फर्जी तरीके से मकान पर चस्पा कर कराई गई तामील के आधार पर अपीलांट्स की इत्तला होना मान कर एक पक्षीय कार्यवाही कर सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। बहस मे आगे बताया कि वादग्रसत भूमि अपीलांट्स के पिता मंगला आ0 बिशना को नियमानुसार आवंटित कर मंगला की गैर खातेदारी मे दर्ज की गई। उनकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स की गैरखातेदारी मे नियमानुसार दर्ज की गयी। जिस पर अपीलांट्स का ही कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। विवादित भूमि के बावत अपीलांट्स द्वारा सहायक कलेक्टर इटावा मे धारा 188 आरटीए का प्रस्तुत वाद सं0 16/13 लोक अदाजत केम्प लक्ष्मीपुरा मे दिनांक 29.6.2015 को डिक्री किया गया। जिससे साबित है कि आवंटन नियमानुसार किया गया है कोई फ्रोड नही है। रेस्पो0 ने मिली भगत करके आवंटन पत्रावली को गायब करवा दिया तथा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रा0 पत्र पेश कर दिया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने सही मानते हुये आवंटन खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य मे अपील स्वीकार करने का कथन किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे कथन किया कि मंगला पुत्र बिशना गूजर निवासी खेडा ने फ्रोड करके वदगस्त आराजी ख0 नं0 350 की 1.00 है0 भूमि दिनांक 17.5.1989 को आवंटन करवाली। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 1.6.2016 से कथित आवंटन आदेश दिनांक 17.5.1989 निरस्त कर वादग्रस्त आराजी गैरखातेदारी से निरस्त कर पुनः राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने तथा उक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्तकर्ता व्यक्ति को विधिवत कार्यवाही करते हुये मौके पर से बेदखल कर कब्जा

अति. सं. आयुक्त

ज प्राप्त करने हेतु तहसीलदार आदेशित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित है अपील डिसमिस की जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोन हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है। लिहाजा न्यायहित मे अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया। तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन किया। जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बद्रीबाई द्वारा राज0 कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के अन्तर्गत मंगला पुत्र बिशना गूजर निवासी खेडा को ख0 नं0 350 की 1.00 है0 भूमि का दिनांक 17.5.1989 को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे पेश किया गया जिसे निर्णय दिनांक 1.6.2016 से स्वीकार कर आवंटन को निरस्त किया गया तथा तहसीलदार पीपल्दा को उक्त आराजी गैरखातेदारी से निरस्त कर पुनः राजकीय सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने तथा उक्त आराजी पर मौके पर काबिज काश्तकर्ता व्यक्ति को विधिवत कार्यवाही करते हुये मौके पर से बेदखल कर कब्जा राज प्राप्त करने का आदेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील पेश की है। अपील मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि आक्षेपित निर्णय डिनांक 1.6.2016 अपीलाट्स को सूचना दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना फर्जी तरीके से मकान पर चस्पा कर कराई गई तामील के आधार पर अपीलांट्स की इत्तला होना मान कर अपीलाट्स की तामील मानते हुये अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय तौर पर पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से प्रथम दृष्ट्रया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट के तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नोटिस के अवलोकन से प्रकट होता है कि तामील कुनिन्दा द्वारा नोटिस घर पर नही होने से एक प्रति खुले मकान पर चस्पादगी की जाना अंकित किया है। उक्त नोटिस पर अंकित रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 18.3.2016 के अनुसार अपीलाट्स की तामील मानते हुये अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित कर दिनांक 20.5.2016 को प्रकरण मे एक पक्षीय बहस सुन कर दिनांक 1.6.2016 को आक्षेपित निर्णय पारित किया गया जिससे अपीलांट्स को प्रकरण मे जवाबदेही एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्राप्त नही हो सका। चूंकि प्रकरण मे अपीलांट की विधिक तौर पर प्रोपर तामील होना नही पाया जाता है। संबधित आसामी के घर पर नही मिलने पर घर के अन्य किसी व्यस्यक व्यक्ति को नोटिस की प्रति देकर तामील कराई जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर नही कर प्रकियात्मक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय तौर पर पारित आलौच्य जेरअपील निर्णय दि0 1.6.2016 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। फलत् अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय दिनांक 1.6.2016 अपास्त किये जाने योग्य है।

7 परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा द्वारा प्रकरण सं0 11/2013 (प्रा0 पत्र–आवंटन निरस्तीकरण) उनवान बद्रीबाई बनाम रामकुमार आदि मे पारित निर्णय दिनांक 1.6.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये तथ्यों का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करें।

8 निर्णय आज दिनांक 6.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।क्ष

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा